Volume: 1 Issue: 16 Pages: 218-220

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 4.714

Received: 25/November/2022 Int. J Res. Acad. World. 2022; 1(16):218-220 Accepted: 31/December/2022

गुणवत्ता के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा

*[1]डॉ चंचल कुमार द्विवेदी

*[1]Assistant Professor, Department of Education, Swami Vivekanand Mahavidyalya Jhansi, Bundelkhand university Jhansi, Uttar Pradesh, India.

सारांश

रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला गणित समझना और उससे अपनी गणित संबंधी चिंताओं को निदान कर लेना हमें गणितज्ञ होने का भ्रम नहीं दे सकता। इसी प्रकार शिक्षा की सामान्य जानकारी या परीक्षा प्रणाली पर की जाने वाली आलोचना किसी को शिक्षाविद घोषित नहीं कर सकती। दोनों बातों में स्पष्ट अंतर समझा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक रूप से सामान्य समझ का परिणाम है जबकि दूसरी सैद्धांतिक अध्ययन एवं शोध पर आधारित विशेषज्ञता है। शिक्षा के दो विशिष्ट स्वरूप हैं। एक स्वरूप इसका उदार पक्ष है जो समाज विज्ञान के किसी भी विषय की तरह पढ़ा एवं समझा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप प्रोफेशनल शिक्षा का हिस्सा है, जिसका कार्य शिक्षा संस्थानों एवं विद्यार्थियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर शोध को बढ़ावा और शिक्षण-पद्धतियों को अधिक रुचिकर बनाना है। शिक्षा के पहले स्वरूप को बीए तथा एमए (एजुकेशन) के साथ बढ़ावा दिया जाता है या यूं कहें कि उदार अनुशासन के रूप में पढ़ा एवं पढ़ाया जाता है। वहीं गिर इसके दूसरे प्रोफेशनल स्वरूप को बीएड, एमएड, की डीएड या बीएलएड के माध्यम से पहचाना जाता मा है। इसे हम संक्षेप में अध्यापक-शिक्षा कहते हैं जो यूज अध्यापक बनने के लिए वांछित प्रोफेशनल शिक्षा है। शिक्षा के उदार पक्ष और उसके प्रोफेशनल पक्ष का ए अध्ययन क्रमश एमए (एजुकेशन) एवं एमएड से ज जाना जा सकता है। इनके अंतर को समझने के लिए अ आप मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक का उदाहरण स ले सकते हैं। किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक तो के हम सभी हैं-एक अध्यापक के रूप में, माता-पिता के प रूप में, किंतु मनोचिकित्सक केवल सलाह-मशविरा क ही नहीं देता, बल्कि आवश्यक दवा भी देता है।

मूल शब्द: अध्यापक शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति

प्रस्तावना

वर्तमान में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। स्वतन्त्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में प्रशिक्षण के अनेक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, उस समय उनका स्वरूप केवल प्रशिक्षणात्मक था । स्वतन्त्रता के पश्चात प्रशिक्षण के इस स्वरूप को विस्तार दिया गया और इसने अध्यापक शिक्षा के रूप में एक नए आकार को ग्रहण किया। इसकी संरचना को दृढता, हृदय उपादेयता और रूपसज्जा प्रदान की अध्यापक शिक्षा परिषद ने अध्यापक व्यवसाय को ब्रिटिश काल से लेकर स्वातन्त्र्योत्तर काल तक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उचित सम्मान नहीं मिल पाया। हालाकि इसके लिये 1882 के हटर आयोग की संस्तुतियाँ काफी सीमा तक उत्तरदायी कही जा सकती है। विश्व के सभी देशों में अध्यापक शिक्षा की यह पहली आवश्यकता है कि वह अध्यापक बनने की इच्छा रखने वाले सही व्यक्ति का चयन कर सकें। इससे सम्पूर्ण अध्यापक शिक्षा और शिक्षा जगत की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

अध्यापक शिक्षा विकसित देशों का मेरूदण्ड कही जाती है परन्तु वर्तमान में इस क्षेत्र में अनेक जटिल एवं चौकाने वाली समस्याएँ अनुभूत की गयी है। शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिये मानदण्ड तो बहुत कठोर व आकर्षक है परन्तु अब उन पर अमल न के बराबर हो रहा है। यह कोई अतिश्योक्ती नही कि अध्यापक शिक्षा प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का अविछिन्न अंग होती है। यह समाज एवं राष्ट्र के चरित्र उसकी संस्कृति एवं लोकाचार से घनिष्ट रूप से जुड़ी होती है। इक्कीसवीं सदी के विकासशील प्रौद्योगिकी के विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के परिवेश में सन् 2010 तक भारतीय समाज को सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान बनाने के संकल्पों के आलोक में भावी अध्यापकीय शिक्षा व्यवस्था से एक उपयुक्त साधकत्व प्रदान करने की अपेक्षा है। इस सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों को एक नवीन परिप्रेक्ष्य में रखते हुये उन्हें सार्थक भूमिका निर्वहन की जिम्मेदारी सौपनी होगी जिससे अध्यापक शिक्षा की प्रक्रियाओं में परिव्याप्त दोषों पर रोक लग सके एवं अध्यापक शिक्षा वैश्विक परिदृश्य पर अपनी गौरवपूर्ण गुणवत्ता को प्राप्त कर सकें।

A teacher that he remove ignorance, he is kind and impartial, good hand-writing and clear and correct pronunciation on were essential for him.

According to Kabir & Dadu

वर्तमान समय में जिस प्रकार से संचार एवं प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का विकास हुआ है उतना तेजी से विकास शिक्षक-शिक्षा में नही हुआ। क्योंकि शिक्षक-शिक्षा में नित्य नवीन आयामों का समावेश सही समय पर लागू नही किया गया। शिक्षक-शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है क्योंकि वर्तमान में शिक्षक एवं शिष्य परम्परा, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार, शिक्षक का जीवन दर्शन, समयबद्धता, विषय पर स्वामित्व, अधिगम व्यवहार में लचीलापन, भेद रहित, व्यवहार, उत्तम चरित्र, प्रशासनिक दक्षता, धैर्य एवं संयम, विचारों में गत्यात्मकता एवं शिक्षक अनुसंधान में रूचि व्यवसाय के प्रति कर्तव्य निष्ठाता, सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा शिक्षक-शिक्षा में परिवर्तन लाया जा सकता है।

*Corresponding Author: डॉ चंचल कुमार द्विवेदी

अध्यापक शिक्षा प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का अविच्छिन्न अंग होती है यह समाज एवं राष्ट्र के चरित्र उसकी संस्कृति एवं लोकाचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है 21 वीं सदी के विकासशील प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के परिवेश में सन् 2010 तक भारतीय समाज को सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान बनाने के संकल्पों के आलोक में भावी शिक्षा व्यवस्था से एक उपयुक्त साधकत्व प्रदान करने की अपेक्षा है।

इस सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों को एक नवीन परिप्रेक्ष्य में रखते हुये उन्हें सार्थक भूमिका निर्वहन करने की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। जिससे शिक्षा की प्रक्रियाओं में परिव्याप्त दोषों एवं कृत्रिमताओं पर रोक लग सके। एक तरह विश्व के अनेक देश जहाँ अपने ज्ञान, विज्ञान व तकनीक के बल पर शैक्षिक चुनौतियों की डटकर सामना कर रहे है, वही भारत जैसे विकासशील देशों में परिलक्षित हो रही समस्याओं और चुनौतियों से निपटने हेतु अभी तक कोई ठोस व कारगर उपाय नही किये गये हैं।

अध्यापक शिक्षा विकसित देशों का मेरुदण्ड है। जीवन की प्रक्रिया को शिक्षा द्वारा परिभाषित करके राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाये गये, किन्तु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में उसकी गुणवत्ता क्षमता व सक्रियता की दृष्टि से देखा जाये तो स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक कार्यक्रमों द्वारा उच्चस्तरीय प्रयास के रूप में लोगों को तैयार करना आसान कार्य नहीं है। इस क्षेत्र में अनेक जटिल एवं चौकाने वाली समस्याएँ अनुभूत की गई है। एन.सी.टी.ई. के द्वारा केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों व निजी संस्थानों के प्रबन्धकों को सलाह देने के स्थान पर उल्टे उनके द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन कर रही है। इस प्रकार के शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के लिये मानदण्ड तो बहुत कठोर व आकर्षक है, परन्तु अब उन पर अमल न के बराबर हो रहा है। आँकड़ों की हेराफेरी करके निरीक्षकों की आँखों पर पहले से ही चाँदी की पट्टी बाँध दी जाती है फिर ऊपर से ऊँची पहुँच वाले नेताओं का दबाव समस्या को और भी अधिक गम्भीर बना देता है शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु न्यूनतम योग्यता, सेवा शर्ते व वेतनमान सब कुछ निर्धारित है परन्तु इनका पालन शायद ही किसी प्रशिक्षण संस्थान में किया जा रहा है, निजी व स्ववित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मनमानी प्रवेश प्रक्रिया में धांधली, प्रशिक्षण शुल्क में विषमता तथा ऊपर से आये दिन हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय समस्या की जटिलता के द्योतक है।

एन.सी.टी.ई. का मुख्य कार्य विभिन्न स्तर की शिक्षक-शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आदर्श पाठ्यक्रम निर्माण करना है। लेकिन कुछ शुरुआती पहल के बावजूद आज तक कोई सार्थक कार्य इस दिशा में संभव नही हो सका है जितने प्रशिक्षण संस्थान लगभग उतने ही तरह की शिक्षण-प्रशिक्षण की गतिविधियों अभी भी संचालित हो रही है। नए प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु शैक्षिक नवाचार, नवोन्मेष व अभिनवन कार्यक्रम तथा सुविधाओं का अभाव हैं ऊपर से प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबन्धकों के शोषण, मनमानी व तानाशाही व्यवहार से कर्मचारियों का मनोबल दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। एन.सी.टी.ई. का कार्य देश की सभी शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित करना, उनके अनावश्यक विस्तार को रोकना तथा शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण व व्यवसायीकरण को रोकने पर बहुत बल देना था, परन्तु वर्तमान समय में भेंट पूजा व अपनी ऊँची पहुँच का फायदा उठाकर सभी बैरियरों को तोड़कर मनमाने कार्यों को बढ़ावा दिया जाने लगा x/61 पश्चिमी उ0प्र0 व यहाँ तक की देश की राजधानी नई दिल्ली में भी स्ववित्त पोषित संस्थानों का जाल सा बिछ गया है अगले सत्र में इनकी दुगनी संख्या हो जाने की औपचारिकताएँ पूरी की जा रही है, इससे अध्यापक शिक्षा एक बिकाऊ शिक्षा बनती जा रही है।

कोठारी आयोग (1964-66) ने शिक्षा में परिवर्तन कर दिशा निर्देश करते हुये कहा है कि यद्यपि गुण और मात्र दोनों दृष्टि से सक्षम राष्ट्रीय शिक्षा कल्याण और सुरक्षा के लिये सशक्त साधन है। दूसरी तरफ, यह उस तरह का सशक्त साधन है जिसका सही द विवेकपूर्ण उपयोग न होने से बुरी शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु वह चिरस्थायी क्षति पहुँचा सकती है आज के परिवेश में यह अक्षरशः सही प्रतीत हो रही है। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि "आज शिक्षा सबसे ज्यादा लाभ देने वाला व्यवसाय बन गई है। शिक्षा में निजी क्षेत्र का दखल बढ़ने से अवसर तो बढ़े है लेकिन कई होनहार प्रतिभाशाली छात्र धन की कमी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। निजी शिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण का मापदण्ड केवल धन है और इस आड़ में अच्छे शिक्षकों का निर्माण असम्भव है। समाज में आज यही प्रश्न गूंजता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, लेकिन इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? मात्र हमारे प्रशिक्षण संस्थान जहाँ माइक्रों सिमुलेटिड, क्रिटिसिज्म एवं प्रैक्टिस टीचिंग के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जाती है, और सरकार द्वारा एक-एक विश्वविद्यालय में 80-85 निजी शिक्षक शिक्षा संस्थान खोलकर शिक्षक-शिक्षा को बद से बदतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों को देखते हुये प्रश्न कौंधता है कि ऐसे प्रशिक्षण से क्या लाभ है ? वर्तमान में इसमें सकारात्मक परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है। इसकी प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित करना होगा। दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के उपरान्त एक वर्ष की इन्टर्नशिप होनी चाहिये। इसके लिये शासकीय स्तर पर बदलाव की आवश्यकता होगी यदि एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों के लिये इन्जीनियरों आदि के लिये इन्टर्नशिप अथवा संस्थानों में कार्यानुभव आवश्यक है तो अध्यापक शिक्षा में क्यों नहीं चाहे राधाकृष्णन आयोग हो, मुदालियर मुदालियर आयोग हो या कोठारी आयोग अथवा नई शिक्षा नीति, सभी ने एक स्तर से इन्टर्नशिप की व्यवस्था करने की वकालत की है, तो इसका क्रियान्वयन भी होना चाहिये । अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता और उन्नयन में ये परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है। प्रशिक्षण आज प्रशिक्षण के बाद केन्द्रीय सरकार के द्वारा सबसे अधिक खर्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर किया जा रहा है। किन्तु शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक अभाव व संसाधनों के अभाव की बात कही जाती है। इसके लिये केन्द्र व राज्य सरकारों को अपेक्षित बजट का प्रावधान करना चाहिये। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों का सामना करने के व स्तरीय प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाये रखते हेतु आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध व संसाधनों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी चाहिये। इससे मानक रहित तथा गुणवत्ता विहिन प्रशिक्षण संस्थानों में होने वाली बढ़ोत्तरी को तत्काल रोकने में मदद मिलेगी एवं इससे अध्यापक शिक्षा का उत्तरदायित्व विभाजित नही हो पायेगा। एन.सी.टी.ई. इसके साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न कर सकती है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा देश के सभी शिक्षा व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों यथा-एन.सी.ई.आर.टी. व इसकी राज्य स्तरीय क्षेत्रीय परिषदें तथा क्षेत्रीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य संस्थानों से भी व्यापक पारस्परिक आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षणगत सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। नहीं 1

यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद शिक्षक-शिक्षा का विकास अवश्य हुआ है किन्तु मात्र संख्यात्मक, राष्ट्रीय स्तर पर संस्था अवश्य बनी है किन्तु वह लक्ष्यानुरूप कार्य नही कर पा रही है शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं में वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु आर्थिक लाभ के रूप में इन स्थितियों में शिक्षक शिक्षा में गुणात्मकता का विकास मात्र कोरी कल्पना ही प्रतीत होती है। अब वह समय आ गया है कि नीति निर्माताओं, सरकारों तथा एन.सी.टी.ई. को मानव पूँजी निर्माण के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरण हेतु अध्यापक शिक्षा व्यवस्था प्रक्रिया व उसकी प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से अलग से अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यथा शीघ्र पर्याप्त कदम उठाया जाना चाहिये । यदि नीति निर्माता, शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय एन.सी.टी.ई. तथा राज्य सरकार अध्यापक शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने व प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु इसे चुनौती के रूप मैं दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ स्वीकार करते है, तो निश्चित ही शिक्षकों, प्रशिक्षकों व प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता, गुणवत्ता, प्रतिबद्धता तथा उनके कार्य निष्पादन की निपुणता में सुधार

हो सकेगा अन्यथा अध्यापक शिक्षा एक घटिया व निम्न स्तरीय प्रशिक्षण के साथ बिकाऊ शिक्षण प्रशिक्षण होकर रह जायेगी। इससे केन्द्र व राज्य सरकार की सभी प्रकार की शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन तो अधर में रह ही जाएगा, राष्ट्र का सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक विकास भी अवरुद्ध हो जायेगा ।

अस्तु अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को यदि हम उन्नत करना चाहते है तो एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार समग्र रूप में सुधारात्मक उपायों को यथाशीघ्र लागू करना ही होगा साथ ही साथ यदि हमें अध्यापक कौशल में दक्ष एवं स्वस्थ अध्यापकीय व्यक्तित्व वाले छात्र का निर्माण करना है तो अध्यापक शिक्षा हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करना ही होगा। राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक-शिक्षा की व्यवस्था में जो सुधार देखने को मिल रहे है वह सन्तोषजनक नही कहे जा सकते हैं। शिक्षक शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेमीनार एवं अभिविन्यास तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम के माध्यम द्वारा समय-समय पर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा की सकता है। जरूरत इस बात की है कि शिक्षकों की अपने व्यवसाय एवं छात्रों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाये जिससे शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन नके लाया जा सके है।

भारत में भी प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने एवं इसके गुणात्मक विकास के लिए विशिष्ट प्रोफेशनल नियामक संस्थाओं की स्थापना की गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कानूनी-शिक्षा के लिए बार काउंसिल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एआइसीटीई नाम की संस्था है। ये संस्थाएं न केवल संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अनुमति देती हैं, बल्कि समय के अनुरूप प्रोफेशनल कोर्स की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को भी परिभाषित करती हैं। इसी प्रकारअध्यापक शिक्षा की संस्थाओं के नियमन के लिए एनसीटीई नामक संस्था 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। अपने प्रारंभ से ही इसकी अधिकांश ऊर्जा अध्यापक शिक्षा के नए खुल रहे संस्थानों को मान्यता देने संबंधी कार्यों में ही खर्च होती रही है। इसकी चार क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं, परंतु उनका ध्यान भी कमोबेश नए बीएड संस्थानों को मान्यता देने और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करने में ही लगा रहा। अध्यापक शिक्षा के स्वरूप में सुधार एवं उन्हें समय के अनुरूप बदलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए संस्था के पास एक भी अकादमिक स्थायी सदस्य या यूनिट नहीं है। इसके लिए एनसीटीई उधार के विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहती रही है। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की कुंजी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के माध्यम से ही हम विद्यालयों में विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकते हैं और अपनी कक्षाओं को रोचक, नवाचारी एवं आलोचनात्मक चिंतन का केंद्र बना सकते हैं। अध्यापक शिक्षा के संस्थानों में आ रही निरंतर गिरावट का एक प्रमुख कारण इन अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के समय अपनाया जाने वाला मापदंड भी है। इस मापदंड का निर्धारण मुख्य रूप से यूजीसी द्वारा किया गया है।

अध्यापक शिक्षा के लिए 2021 तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की जानी है। प्रस्ताव के अनुसार 2030 तक अध्यापक शिक्षा का एकीकृत चार वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाना है। इसके साथ दो वर्षीय और एक वर्षीय बीएड की भी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए छात्रवृत्ति की भी बात है। यह भी रेखांकित करने योग्य है कि नई नीति के अनुसार भारतीय भाषाओं में अध्यापकों को तैयार करना होगा। इन सब दृष्टियों से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थानों का नियमन किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पाठ्यचर्या आदि से जुड़ी अपनी अन्य भूमिकाओं को सबल बनाएगी। शिक्षा नीति में जो सुझाव और उसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि प्राथमिकता के आधार पर अध्यापक-शिक्षण के लिए पाठ्यचर्या को विकसित किया जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है।

नई शिक्षा नीति स्वीकार करती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभिप्रेरित शिक्षक आवश्यक हैं।

इस दृष्टि से युवा वर्ग को शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। यह कार्य केवल सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के एकीकृत कार्यक्रम से संभव नहीं होगा। इसके लिए नियुक्ति और सेवाशर्तों को अपेक्षाकृत आकर्षक और विश्वसनीय बनाना होगा। आज की परिस्थितियों में भावी शिक्षकों के सामने रोल मॉडल भी रखने होंगे। इस नीति का एक प्रिय शब्द है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इस तरह की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अध्यापक तैयार करने के लिए लीक से हट कर नवाचारी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की पद्धति पर कार्य करना होगा। शिक्षा नीति-2020 के आधार पर जिस "शिक्षा की परिकल्पना की गई है, उसके लिए हमारे अध्यापक कैसे होने चाहिए? इस प्रश्न पर सोचते हैं तो हमारे सम्मुख ये विशेषताएं उपस्थित होती हैं: भाषाई पूर्वग्रह से मुक्त, भारतीय संस्कृति और परंपरा पर आधारित मूल्य बोध के प्रति समर्पित, 21वीं सदी की दक्षताओं से युक्त, अपने विषय के साथ जेंडर और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, बच्चों की विविधता, नागरिकता की शिक्षा और कला एवं शिल्प के प्रति अनुराग। उन्हें समूह में कार्य करने, समस्या समाधान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने में प्रमुख चुनौती है अध्यापक शिक्षा संस्थानों का विकास। इसके बाद पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों के कैडर की जरूरत होगी। अब तक इसके लिए व्यापक तैयारी नहीं है। चार वर्षों के एकीकृत कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करेंगे तो कम से कम अब से 5 वर्ष का समय लगेगा। अध्यापक शिक्षा को अपने परंपरागत ढांचे, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए अध्यापकों को तैयार किया जाता है, से हटकर विचार करना होगा। यह केवल प्रशिक्षण का कार्य नहीं है, इसके लिए भारतीय संदर्भ को अपनाना होगा, ताकि शिक्षक अपनी इस भूमिका के प्रति जागरूक हों। बहुअनुशासनात्मकता के साथ अध्यापक शिक्षा की बात लंबे समय से चल रही है। जस्टिस वर्मा आयोग की संस्तुतियों में भी यह बात शामिल थी। जब हमारी उच्च शिक्षा का ढांचा इस दिशा में अग्रसर होगा तो निश्चित रूप से अध्यापक शिक्षा को भी इसका लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

अब जब नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है तब एनसीटीई को अपनी महती भूमिका को समझना होगा, जो प्रशासनिक के साथ-साथ अकादमिक भी है। इसे अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम, स्कूल-इंटर्नशिप के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलापों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों में वांछित एवं अपरिहार्य परिवर्तन करने होंगे। ये परिवर्तन न केवल अध्यापक-शिक्षकों को प्रेरित करें, बल्कि उनकी प्रोफेशनल-ग्रोथ में भी स्वीकार्य हो। अध्यापक शिक्षा के संस्थानों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करना और अध्यापक-शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों को अध्यापक-शिक्षा संस्थानों की कार्य-संस्कृति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करना एक वृहद शैक्षिक सुधार है। इन सुधारों को लेकर एनसीटीई को बिना किसी विलंब के सार्थक प्रयास करने होंगे।

References

1. Ahuja RL. The Problems of Teachers in India V.M. Vaid Ambala Cantt.
2. Buch M.B.(Ed), A survey of Research for Education Centre of Advanced Studies in Education Baroda.
3. NCERT, Teacher Education curriculum (A frame Book), 2001
4. Vapati JL. Wastage in Teacher Education, Jan Shikshan, 2009, 9.
5. Mukharjee SN. Education in India: today and Tomorrow, Acharya Book Depot, Baroda.
6. Jangira NK. Teacher Training and Teacher Effectiveness 23, National Publishing House, Delhi, 1989.
7. Jha BN. Report on Teacher Training, 1964.
8. Gupta LD. A New Venture in Education Arya Book Depot, New Delhi, 2008.